निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 100 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के माह नवम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री मनोज कुमार संह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तिमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08-01-2018 से 09-01-2018 तक व 05-02-2018 से 12-02-2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के आं शक पर्यवेक्षण दिनाक 07.02.18 से 09.02.2018 तक में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री मनोज कुमार नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री मनोज कुमार संह, पर्यवेक्षक एवं श्री नन्दन संह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10-11-2016 से 23-11-2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह मई 2015 से अक्तूबर 2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह नवम्बर 2016 से जनवरी 2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

<u>क्रयाकलापः-</u>

राज्य योजना/जिला योजना, नाबार्ड द्वारा वत्त पो षत मार्गों का निर्माण/रखरखाव का कार्य। निक्षेप मद के अंतर्गत प्राप्त धनरा श से व भन्न निर्माण कार्य।

<u>भौगो लक अ धकार क्षेत्रः-</u>

कल्जीखाल, कोट एवं पौड़ी ब्लॉक।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

` *लाख में*

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	--	--	671.14	659.39	2334.52	2334.52	--	11.75

2015-16	--	--	676.03	675.57	1177.53	1177.53	--	0.46
2016-17	--	--	745.84	735.31	1639.82	1639.82		10.53
2017-18 (जनवरी तक)			780.39	658.64	2004.44	1964.44		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
----शून्य----					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं नाबार्ड के द्वारा कया जाता है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

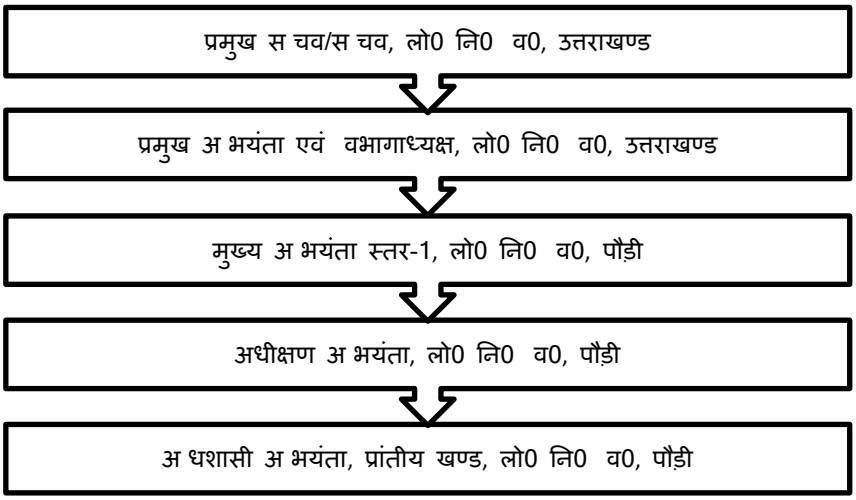

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अ धकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, पौड़ी के माह 11/2016 से 1/2017 तक के अ भलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, पौड़ी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग में डडूवा देवी नामक स्थान से डांग गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन कए गए व्यय के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी

एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 04-10-2016 से 07-10-2016 तक का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2013 तथा 09/2014 तक की गई।

5. फार्म 51: माह जनवरी 2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 673005.41

भाग द् वतीय ` 188747.60

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्तूबर 2016 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम ` 13808550.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 86345395.70

(ङ) भण्डार -----

भाग दो ब

प्रस्तर 1. रू0 39,21,479.00 सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 के अनुसार रू0 3.00 लाख से अधिक की लागत सामग्री का क्रय करने के लिये अधिप्राप्ति नियमावली प्रावद्यानों के अनुसार निविदा आमंत्रित करके ही सामग्री का भण्डारण किया जा सकता हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में ही सामग्री का क्रय रू0 3.00 लाख तक **कोटेशन** पर किया जा सकता है जिसकी कार्य की महत्ता को देखते हुऐ तत्काल आवश्यकता हो।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पौडी की सामग्री क्रय पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2017–18 (माह 8/2017) तक प्रान्त **बाहर** की फर्म से टुकडों में **कोटेशन** प्राप्त दरें **अनुमोदित** करके कुल रू0 39,21,479.00 सामग्री का क्रय किया गया है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

माप पु सं	क्रय आदेश सं	दिनांक	धनराशि
1612/एल	2188	11.8.2017	301321.00
	2084	2.8.2017	293177.00
	2222	22.8.2017	307800.00
	2228	22.8.2017	301321.00
	2101	2.8.2017	298606.00
	2102	2.8.2017	293177.00
	2360	31.8.2017	301321.00
	2359	31.8.2017	298606.00
	2357	31.8.2017	301321.00
	2377	31.8.2017	301321.00
	2174	10.8.2017	307836.00
	2217	18.8.2017	307836.00
	2216	18.8.17	307836.00
		कुल योग रू0	39,21,479.00

जब उक्त कार्य होने आवश्यक थें और खण्ड के पास समय अवधि भी थी, तो उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्रावद्यानों का पालन सुनिशिचित करते हुऐ निविदा आमत्रित कर सामग्री का क्रय किया जाना **चाहिए था।** परन्तु विभाग के द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही रू0 39,21,479.00 का क्रय टुकडो में प्रान्त **बाहर** की फर्मो से **कोटेशन** प्राप्त करके करना उत्तराखण्ड प्रिकोयरमेंन्ट नियमावली में उल्लिखित प्रावद्यानों का उल्लघन था।

इस सम्बन्ध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि अल्प **समय** अवधि होने के कारण एवं कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुऐ ऐसा किया गया था,

भविष्य में इस तरह की पुर्नावृत्ति नही होगी, तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कर ही सामग्री का क्रय कर भण्डारण किया जायेगा।

विभागीय उत्तर सन्तोषजनक नही है, क्योकि विभाग को नियमों का स्पष्ट ज्ञान था, फिर भी नियमों की अवहेलना करके सामग्री का क्रय एवं भण्डारण किया जाना विभागीय मंशा को स्पष्ट करता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN-1

प्रस्तर:1- ₹16.30 लाख की एलडी की वसूली न कए जाना |

Clause 4.5 if the whole work upto the fourth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग में डडुवा देवी नामक स्थान से डांग गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य को प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 550/III(2)/14-49(प्रा॰आ॰)/2013 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा 4 कमी हेतु लागत रु॰ 156.24 लाख की प्राप्ति हुए थी। इसकी प्रा व धक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अ भयंता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को दिनांक 24.02.2015 को प्रे षत की गई। इसकी प्रा व धक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अ भयंता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 748/962 यातायात-12/2014 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा प्रदान की गई। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अनुबंध गठित कए गए, जिस पर अब तक कुल ₹1.63 करोड़ व्यय कए जा चुके है |

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के अ भलेखो की जांच मे पाया गया क इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अनुबंध गठित कए गए| उक्त अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की ति थ (दिसम्बर 15/ फरवरी 16/ सतम्बर 16) थी | आगे लेखापरीक्षा मे पाया गया क दो वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी कार्य अभी तक (जनवरी 2018) अपूर्ण थे व उक्त वलंब के लए ठेकेदारों के देयकों से कोई भी कटौती नहीं की गयी थी |

खंड ने अपने उत्तर मे बताया गया क भ वष्य हेतु नोट कया |

अतः ₹16.30 लाख क एलडी की वसूली न कए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है |

STAN-2

प्रस्तर:2- **₹6.40** लाख का अनिय मत व्यय **|**

वतीय नियमो के अनुसार कोई भी व्यय से पूर्व उसकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए |

पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग में डडुवा देवी नामक स्थान से डांग गाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य को प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 550/III(2)/14-49(प्रा॰आ॰)/2013 दिनांक 29.01.2014 के द्वारा 4 कमी हेतु लागत रु॰ 156.24 लाख की प्राप्ति हुए थी। इसकी प्रा व धक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अ भयंता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी को दिनांक 24.02.2015 को प्रे षत की गई। इसकी प्रा व धक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अ भयंता, 12वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के पत्रांक 748/962 यातायात-12/2014 दिनांक 13.03.2015 के द्वारा प्रदान की गई। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अनुबंध गठित कए गए, जिस पर अब तक कुल 162.64 लाख व्यय कए जा चुके है |

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण वभाग, पौड़ी के अ भलेखो की जांच मे पाया गया क इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 8 अनुबंध गठित कए गए | उक्त अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने क ति थ (दिसम्बर 15 / फरवरी 16 / सतम्बर 16) थी | आगे अ भलेखो क जांच मे पाया क ₹6.40 लाख का आ धक्य व्यय क स्वीकृति प्राप्त नहीं है |

खंड ने अपने उत्तर मे बताया क प्रकरण क जांच कर आवश्यक कार्यवाही क जाएगी |

बिना स्वीकृति के ₹6.40 लाख के व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है |

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग-दो 'अ'	भाग-दो 'ब'
1.	53/91-92	2	4
2.	30/92-93	3	2
3.	38/93-94	-	3
4.	193/95-96	-	1
5.	156/96-97	3	-
6.	165/97-98	2	2
7.	17/2000-01	1	-
8.	51/01-02	1	3
9.	63/04-05	2	-
10.	55/05-06	1	-
11.	40/10-11	2	3
12.	56/11-12	2	2
13.	21/15-16	1	1,2,3
14.	81/2016-17	1	1, **2**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उच्चा धकारियों की संस्तुति के अभाव मे अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, पौड़ी के अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) माप पुस्तिका संख्याः 1515/L, 1531/L, 1563/L, 1579/L, 1593/L, 1597/L, 1598/L, 1603/L, 1605/L, 1606/L व 1607/L,

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री निर्भय संह	अ धशासी अ भयंता
(ii)	श्री अनुपम सक्सेना	अ धशासी अ भयंता

   लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खण्ड, लो0 नि0 व0, पौड़ी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/ आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जाए।

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   (i) श्री राजेश बंदूनी (ii) के के सागर (iii) तारा संह बिष्ट

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/आ र्थक क्षेत्र -2